सुदीप्त लेंका

बनाम

ओडिशा राज्य व अन्य

(रिट याचिका (सिविल) संख्या 2013 की 957)

12 मार्च 2014

[पी सदाशिवम, सीजेआई, रंजन गोगोई और एन.वी. रमण, जे जे]

भारत का संविधान, 1950:

अनुच्छेद 32 - मामले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग वाली रिट याचिका - एक संविदा सरकारी शिक्षक का यौन उत्पीड़न - कहा गया कि पीड़िता को आग लगा दी गई जिससे उसकी मृत्यु हो गई - निर्णित: जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने की संवैधानिक अदालत की शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए उपयुक्त स्थितियों को उच्च जनहित की कसौटी पर और कानून के शासन को बनाए रखने की आवश्यकता के आधार पर आंका गया है - जहां तक मृतक की मृत्यु के बाद के तथ्यों और परिस्थितियों का सवाल है, दाखिल आरोप पत्र और गलती करने वालों के खिलाफ की गई विभागीय कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों, इस स्तर पर मामले में किसी भी अतिरिक्त निर्देश की कोई आवश्यकता नहीं है - जहां तक पीड़ित की मृत्यु से पहले की घटनाओं का संबंध है, प्रथम दृष्टया, कुछ हद तक ढिलाई और उदासीनता का खुलासा होता है - इसलिए, अनुशासनात्मक कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए भी कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, राज्य सरकार को यह पता लगाने के लिए एक विस्तृत प्रशासनिक जांच करनी चाहिए कि क्या कोई अन्य अधिकारी या प्राधिकारी, किसी भी स्तर पर, मृतक द्वारा

उठाई गई शिकायतों पर ध्यान न देने के लिए जिम्मेदार है और तदनुसार मामले में आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए - जनहित याचिका।

27.10.2013 को ओडिशा में एक शिक्षा सहायिका (संविदा सरकारी शिक्षक) को आग लगा दी गई। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसने जलने के कारण दम तोड़ दिया। घटना के संबंध में प्रकाशित कई अखबारों की रिपोर्टों का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता, एक युवा कानून छात्र ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत घटना का विवरण देते हुए तत्काल याचिका दायर की।जोकि थी कि, स्कूल के एक उप निरीक्षक द्वारा मृतक का यौन उत्पीड़न किया गया था; उसने 18.07.2013 को स्थानीय पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, और राज्य के विभिन्न अधिकारियों और संस्थानों को याचिकाएं भेजीं; आरोपी के कुछ परिवार के सदस्यों ने मृतक को अपनी शिकायत वापस लेने की धमकी दी; मृतक ने 19.09.2013 को पुलिस में एक और शिकायत दर्ज कराई। याचिकाकर्ता ने आगे दावा किया कि संबंधित अधिकारियों द्वारा मृतक को कोई सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया; आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और मृतक को उसके पोस्टिंग स्थान से स्थानांतरित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि अपराध के अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था और आरोपियों की एक संसद सदस्य और एक मंत्री से भी नजदीकी थी। याचिकाकर्ता ने उक्त शिक्षा सहायिका की मौत से जुड़े मामले की जांच राज्य एजेंसी से केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित करने और सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसी जांच की निगरानी के लिए निर्देश देने की मांग की।

राज्य सरकार ने एक जवाबी हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया कि स्कूल के उप निरीक्षक के खिलाफ मृतक द्वारा दायर शिकायत दिनांकित 18.7.2013 के आधार पर धारा 354/409 आईपीसी के तहत

केस संख्या 60 दिनांक 18.07.2013 दर्ज किया गया था; मृतक द्वारा आरोपियों के परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज की गई शिकायतों पर कार्रवाई की गई और उनके खिलाफ केस नंबर 62 दिनांक 19.07.2013 और नंबर 70 दिनांक 16.08.2013 दर्ज किया गया; मृतक की मृत्यु से संबंधित घटना के संबंध में केस नंबर 92 दिनांक 28.10.2013 दर्ज कर उक्त विद्यालय अवर निरीक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया. इसके अलावा, संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक और एक सहायक उप निरीक्षक, शिक्षा विभाग के दो अधिकारियों और आरोपियों की सेवा से बर्खास्तगी को माता पिता को दिये गये 10 लाख के अनुग्रह भुगतान के अलावा राज्य द्वारा की गई परिणामी कार्रवाई की घटनाओं के रूप में उजागर किया गया था। यह भी स्पष्ट था कि मामले की जांच में ऐसी कोई सामग्री सामने नहीं आई, जो घटित घटना के संबंध में राजनीतिक या नौकरशाही शक्ति और प्रभाव रखने वाले किसी भी व्यक्ति की संलिप्तता को दर्शाती हो।

न्यायालय के समक्ष विचार के लिए प्रश्न थे: (i) क्या आरोपी के खिलाफ 302/120 बी आईपीसी के तहत आरोप पत्र दाखिल करने और सीआरपीसी की धारा 173 (8) के तहत जांच जारी रखने के बाद भी मामले की आगे की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का कोई औचित्य होगा; और

(ii) क्या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के दायित्व के निर्धारण के लिए किसी निर्देश की आवश्यकता होगी जिसके पास इस मामले से निपटने का अवसर हो?

कोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए निर्णित किया:

1.1 आरोप पत्र दाखिल होने के बावजूद जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो या किसी अन्य विशेष एजेंसी को स्थानांतरित करना तभी उचित होगा जब

अदालत संतुष्ट हो कि आरोपी के शक्तिशाली और प्रभावशाली होने के कारण जांच उचित दिशा में आगे नहीं बढ़ी है या यह पक्षपातपूर्ण है। किसी सक्षम न्यायालय में आरोप-पत्र दायर किए जाने के बाद किसी आपराधिक मामले की आगे की जांच, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173(8) के तहत उक्त अदालत के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है। इसलिए, यह जरूरी है कि उक्त शक्ति, हालाँकि, यह हमेशा एक संवैधानिक न्यायालय में निहित रहेगा, इसका प्रयोग केवल उपयुक्त स्थितियों में ही किया जाना चाहिए, उच्च सार्वजनिक हित की कसौटी पर और कानून के शासन को बनाए रखने की आवश्यकता पर निर्णय लिया जाना चाहिए। [पैरा 9] [707-सी-एफ]

गुडलुरे एम.जे. चेरियन बनाम चेरियन भारत संघ 1991 (3) सप्ल. एससीआर 251 = (1992) 1 एससीसी 397;

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन बनाम पंजाब राज्य 1994 एआईआर 1023 = 1993(3) सप्ल. एससीआर 915 = (1994) 1 एससीसी 616;

रुबाबुद्दीनशेख बनाम गुजरात राज्य 2010 एआईआर 3175 = 2010 (1) एससीआर 991 = (2010) 2 एससीसी 200; और

दिशा बनाम गुजरात राज्य और अन्य, 2011 एआईआर 3168 = 2011 (9) एससीआर 359 = (2011) 13 एससीसी337 -उल्लिखित।

विनीत नारायण बनाम भारत संघ 1996 एआईआर 3386 = 1996

(1) एससीआर 1053 = (1996) 2 एससीसी 199;

यूनियन ऑफ इंडिया बनाम सुशील कुमार मोदी (1998) 8 एससीसी 661;

Rajiv Ranjan Singh 'Lalan' (8) बनाम भारत संघ 2006 (4) सप्ल. एससीआर 742 = (2006) 6 एससीसी 613 - अप्रयोज्य।

1.2 हस्तगत प्रकरण से संबंधित घटनाओं को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है - एक मृतक की मृत्यु से पहले और दूसरा उसके बाद। जहां तक मृतक की मृत्यु के बाद के तथ्यों और परिस्थितियों का सवाल है, दायर आरोप पत्र और दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई विभागीय कार्रवाई को देखते हुए, इस स्तर पर मामले में किसी भी आगे के निर्देश की कोई आवश्यकता नहीं है। राज्य जांच एजेंसी द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के बाद, किसी मामले को आगे की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को भेजने की इस न्यायालय की शक्ति को हस्तगत मामले में लागू नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय, आरोपियों के खिलाफ कानून द्वारा अनिवार्य कार्रवाई को जल्द से जल्द अपने तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए। साथ ही अज्ञात आरोपियों के खिलाफ जो जांच चालू रखी गई है उसे अविलंब पूरा किया जाए।यह न्यायालय तदनुसार निर्देश देता है और इस संबंध में संबंधित पुलिस अधीक्षक पर जिम्मेदारी डालता है। हालाँकि, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आरोपी का विचारण उस आधार पर या किसी अन्य कारण से नहीं रोका जाएगा और इसे तुरंत आगे बढ़ाया जाएगा और जल्द से जल्द संभव समय के भीतर समाप्त किया जाएगा। [पैरा 10 और 11] [707-एफ-जी; 708-बी-ई]

1.3 हालाँकि, मृत्यु की घटना से पहले की घटनाएँ थोड़ी अलग स्तर पर खड़ी होती हैं। वही, प्रथम दृष्टया कुछ हद तक ढिलाई और उदासीनता का खुलासा करता है। इसलिए, यह देखते हुए भी कि कुछ अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, इस न्यायालय का विचार है कि राज्य सरकार को इस मामले की विस्तृत प्रशासनिक जांच करनी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या किसी भी स्तर पर कोई अन्य अधिकारी या प्राधिकारी इसका जिम्मेदार है कि अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में या मृतक को सुरक्षा प्रदान करने या उसे

उसके पोस्टिंग स्थान से स्थानांतरित करने के मामले में मृतक द्वारा उठाई गई शिकायतों, और मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। ऐसी जांच में निकले निष्कर्षों और निष्कर्षों के आधार पर, राज्य को मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है। [पैरा 12] [708-एफ-एच; 709-ए]

केस कानून संदर्भ:

2011 (9) एससीआर 359	**उल्लिखित**	**पैरा 5**
1991 (3) सप्ल. एससीआर 25	**उल्लिखित**	**पैरा 8**
1993 (3) सप्ल. एससीआर 915	**उल्लेखित**	**पैरा 8**
1996 (1) एससीआर 1053	**अप्रयोज्य**	**पैरा 8**
1998 (8) एससीसी 661	**उल्लेखित**	**पैरा 8**
1996 (1) एससीआर 1053	**अप्रयोज्य**	**पैरा 8**
2010 (1) एससीआर 991	**अप्रयोज्य**	**पैरा 8**

सिविल मूल अधिकार: भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

2013 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 957

उपस्थित पक्षों के लिए एल. नागेश्वर राव, एएसजी, मुकुल गुप्ता, सुरेश चंद्रत्रिपाठी, संजीब पाणिग्रही, सिद्धार्थ चौधरी, शिबाशीष मिश्रा, वंशदीप डालमिया, बी.वी. बलराम दास, सुवर्णा कश्यप, असीम स्वरूप।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

रंजन गोगोई, जे. 1. बेंगलुरु की एक युवा कानून की छात्रा, जो ओडिशा राज्य से है, ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वर्तमान आवेदन दायर किया है, जिसमें बताया गया है कि एक दुखद घटना जिसमें 27.10.2013 को ओडिशा राज्य के रायगड़ा जिले में स्थित टिकिरी नामक स्थान पर एक इतिश्री प्रधान को आग लगा दी गई थी के परिणामस्वरुप

अनुच्छेद 21 में दिये गये मौलिक अधिकार का उसके अनुसार उल्लंघन हुआ है। घटना के दुर्भाग्यपूर्ण पीड़ित की 01.11.2013 को मृत्यु हो गई।

2. याचिकाकर्ता के अनुसार, उपरोक्त इतिश्री प्रधान (बाद में "मृतक" के रूप में संदर्भित) 18.06.2011 को टिकिरी उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा सहायिका (संविदा सरकारी शिक्षक) के रूप में पदस्थापित हुईं। चूँकि उसे आवास खोजने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, एक नेत्रानंद दंडसेना, (आगे "आरोपी" नाम से संदर्भित), जो उस समय टिकिरी में स्कूलों के उप निरीक्षक के रूप में कार्यरत था, ने उसे अपने घर में रहने की पेशकश की। ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त आरोपी द्वारा मृतक का यौन उत्पीड़न किया गया था, जिसके कारण मृतक ने 18.07.2013 को स्थानीय पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने उक्त शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। 30.07.2013 को मृतक ने हस्तक्षेप के लिए राज्य महिला आयोग और ओडिशा मानवाधिकार आयोग से संपर्क किया था, लेकिन उक्त निकायों ने आवश्यक कार्रवाई के लिए उसकी याचिका को पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ को अग्रेषित करने के अलावा और कुछ नहीं किया। याचिकाकर्ता के अनुसार, 31.07.2013 को मृतक ने पुलिस महानिदेशक से संपर्क किया था और 05.08.2013 को उसने पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ से संपर्क किया था; उसी दिन उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा था। यह भी आरोप है कि उसी तारीख यानी 05.08.2013 को मृतक ने रायगढ़ जिले के कलेक्टर के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार मृतक द्वारा विभिन्न अधिकारियों से की गई उपरोक्त सभी अपीलों का कोई नतीजा नहीं निकला। इस बीच, किसी भी अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने से प्रोत्साहित होकर, आरोपी के कुछ परिवार के सदस्यों ने मृतक को पुलिस में अपनी शिकायत वापस लेने की धमकी दी। मृतक ने 19.09.2013 को

पुलिस में एक और शिकायत दर्ज करके जवाब दिया। (तारीख राज्य द्वारा विवादित है) याचिकाकर्ता ने आगे दावा किया है कि 05.08.2013 से 22.10.2013 तक संबंधित अधिकारियों द्वारा मृतक को कोई सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया; आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और मृतक को उसके पोस्टिंग स्थान यानी टिकिरी से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। याचिकाकर्ता ने आगे आरोप लगाया है कि 27.10.2013 को मृतक को आग लगा दी गई थी और उसे 90% जली हुई चोटों के साथ अस्पताल ले जाया गया था; अंततः, जलने के कारण लगी चोटों के कारण 01.11.2013 को विशाखापत्तनम के एक अस्पताल में मृतिका की मृत्यु हो गई। याचिकाकर्ता ने घटना के संबंध में प्रकाशित कई अखबारों की रिपोर्टों का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि अपराध के अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था और आरोपियों की एक संसद सदस्य और एक मंत्री से भी करीबी निकटता थी। याचिकाकर्ता ने कहा है कि कई आपराधिक कृत्यों के बावजूद, आरोपी खुलेआम घूम रहा था; अपना वेतन प्राप्त कर रहे थे और उन्हें सेवा में पदोन्नति भी दी गई थी। नतीजतन, याचिकाकर्ता ने इतिश्री प्रधान की मौत से जुड़े मामले की जांच को राज्य एजेंसी से केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित करने और इस अदालत द्वारा ऐसी जांच की निगरानी के लिए निर्देश देने की मांग की है।

3. 12.11.2013 को दायर रिट याचिका का जवाब ओडिशा राज्य द्वारा 02.01.2014 के एक जवाबी हलफनामे के माध्यम से दिया गया है। राज्य के अनुसार, मृतक द्वारा नेत्रानंद दंडसेना, टिकिरी पी.एस. के खिलाफ दायर दिनांक 18.7.2013 की शिकायत के आधार पर केस संख्या 60 दिनांक 18.07.2013 धारा 354/409 भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज किया गया था। राज्य ने अपने जवाबी हलफनामे में मृतकों द्वारा राज्य के विभिन्न

निकायों और प्राधिकरणों को प्रस्तुत की गई शिकायतों/अभ्यावेदन के आधार पर की गई कार्रवाई को सिलसिलेवार बताया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि मृतक द्वारा आरोपियों के परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज की गई शिकायतों पर कार्रवाई की गई है और टिकिरी पी.एस. ने आरोपी के परिजनों के विरुद्ध केस संख्या 62 दिनांक 19.07.2013 एवं संख्या 70 दिनांक 16.08.2013 दर्ज किया गया है। दायर प्रतिवाद में आगे कहा गया है कि इतिश्री प्रधान की मौत की घटना के संबंध में टिकिरी पी.एस. केस नंबर 92 दिनांक 28.10.2013 दर्ज किया गया है और नेत्रानंद दंडसेना को 30.10.2013 को उक्त मामले के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। राज्य के अनुसार, नेत्रानंद दंडसेना की पदोन्नति दिसंबर, 2012 में की गई विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के अनुसार की गई थी। टिकिरी पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक और उक्त से जुड़े एक सहायक उप निरीक्षक की सेवा से बर्ख़ास्तगी; रायगडा में तैनात शिक्षा विभाग के दो अधिकारियों की बर्खास्तगी और संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के प्रावधान (बी) को लागू करके आरोपी नेत्रानंद दंडसेना को सेवा से बर्खास्त करने को भी राज्य द्वारा मृतक के माता पिता को अनुग्रह राशि के रूप में दिये गये १० लाख रुपए के अलावा की गई परिणामी कार्रवाई की घटनाओं के रूप में उजागर किया गया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री सुरेश चंद्र त्रिपाठी ने जोरदार आग्रह किया है कि वर्तमान मामला एक युवा महिला के अधिकारों के प्रति चिंता की कमी को दर्शाता है, जिसे परिस्थितियों के कारण अपने घर से दूर किसी स्थान पर रोजगार स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने आरोपी नेत्रानंद दंडसेना के यौन शोषण के प्रयासों का बहादुरी से विरोध किया था और आरोपी के खिलाफ औपचारिक रूप से शिकायत करने का साहस जुटाया था। ऐसी शिकायतें स्थानीय पुलिस स्टेशन के समक्ष दर्ज

की गईं और जिला पुलिस अधिकारियों यानी पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर के साथ-साथ मानवाधिकारों और उनके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध वैधानिक निकायों (राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य महिला आयोग) को भी की गईं। मृतक ने पुलिस महानिदेशक से भी गुहार लगाई थी और आखिरकार उसने राज्य के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी। उसकी बार-बार की गई और उन्मत्त दलीलें उपरोक्त किसी भी प्राधिकारी से अपेक्षित प्रतिक्रिया प्राप्त करने में विफल रहीं। उसके द्वारा कई बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद आरोपी खुलेआम घूम रहा था। यह अधिकारियों की ओर से निष्क्रियता है जिसने आरोपियों को ऐसे कृत्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। विद्वान वकील के अनुसार, इतिश्री प्रधान की मृत्यु के बाद की घटनाओं का क्रम भी उतना ही भयावह है। कुछ निचले स्तर के कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने जैसी कुछ सतही और बिना सोचे-समझे की गई कार्रवाइयों के अलावा आपराधिक मामले की जांच सार्थक ढंग से आगे नहीं बढ़ पाई है। हालांकि आरोपी नेत्रानंद दंडसेना को 30.10.2013 को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है कि उसे पहले क्यों नहीं पकड़ा जा सका। इतिश्री प्रधान की मौत की वजह बनने वाली घटना में शामिल दूसरा व्यक्ति यानी जिस व्यक्ति ने उन पर केरोसिन डाला था वह अभी भी फरार है और उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। विद्वान वकील के अनुसार, यह सब इस तथ्य है कि अभियुक्त को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है; वह एक निर्वाचित संसद सदस्य के करीबी हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि विशाखापट्टनम के अस्पताल में दिए गए अपने अंतिम मृत्युकालीन बयान में, जिसे एक स्थानीय टीवी चैनल द्वारा रिकॉर्ड किया गया था और उसके बाद प्रसारित किया गया था, मृतक ने राज्य के मुख्यमंत्री को इस घटना के लिए शामिल/जिम्मेदार बताया था। ऐसे सभी तथ्य राष्ट्रीय महिला आयोग की जांच समिति की रिपोर्ट में बताए

गए हैं जो प्रकरण में रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। विद्वान वकील के अनुसार, इसलिए हस्तगत प्रकरण एक उपयुक्त मामला है जहां जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित किया जाना चाहिए और इस न्यायालय की करीबी निगरानी में आगे बढ़ना चाहिए।

5. जवाब में, श्री एल. नागेश्वर राव, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, जो ओडिशा राज्य की ओर से पेश हुए हैं, ने शुरुआत में कहा है कि मृतक ने तीन मृत्युकालीन बयान दिए थे।प्रथम मृत्यु क़ालीन बयान 27.10.2013 के रात 10:45 बजे टिकिरी में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए, दूसरा बयान 28.10.2013 को 1:05 बजे रायगढ़ के जिला मुख्यालय अस्पताल में और तीसरा उसी दिन तहसीलदार, रायगढ़ के समक्ष दर्ज किया गया था। उपरोक्त तीन मृत्युक़ालीन बयान एक ही प्रभाव के हैं, अर्थात्, मृतक को एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जलाया गया था जिसे वह नहीं पहचानती थी और ऐसा करने से पहले उस व्यक्ति ने उससे आरोपी नेत्रानंद दंडसेना के खिलाफ मामला वापस लेने के लिए कहा था, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त मृत्युक़ालीन बयानों से यह स्पष्ट होता है कि अपराध में दो व्यक्ति शामिल हैं यानी नेत्रानंद दंडसेना और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति जिन्होंने वास्तव में मृतक को आग लगा दी थी। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 22.02.2014 को टिकिरी थाने में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। नेत्रानंद दंडसेना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 449/450/302/120-बी के तहत मामला संख्या 92/2013 दर्ज किया गया है और उस अन्य व्यक्ति को पकड़ने के लिए जांच जारी रखी गई है जिस पर मृतक को जलाने का आरोप है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि मामले के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में, घटना से जुड़े व्यक्तियों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है- पहले वे व्यक्ति जो वास्तव में अपराध में

शामिल हैं; दूसरे वे अधिकारी और निकाय हैं जिनके समक्ष मृतक द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी और तीसरे वे व्यक्ति हैं जिन्होंने कथित तौर पर आरोपियों को बचाने की कोशिश की थी। जहां तक अपराध में शामिल व्यक्तियों का सवाल है, विद्वान वकील के अनुसार, नेत्रानंद दंडसेना पर पहले ही आरोप पत्र दायर किया जा चुका है और वर्तमान में वह हिरासत में है। उस अज्ञात व्यक्ति को पकड़ने के लिए जांच जारी रखी जा रही है जिसके बारे में कहा गया है कि उसने मृतक को आग लगा दी थी। जहां तक राज्य के विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों और पदाधिकारियों का सवाल है, जिनसे मृतक ने समय-समय पर संपर्क किया था और जिन्होंने कथित तौर पर उचित और त्वरित कार्रवाई नहीं की थी, विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि मामले का उक्त पहलू अपराध के कारित होने से संबंधित नहीं होने के कारण, यह केंद्रीय जांच ब्यूरो के संदर्भ का विषय नहीं हो सकता है। अधिक से अधिक, उपरोक्त मुद्दा प्रशासनिक जांच और उसके आधार पर परिणामी कार्रवाई का विषय हो सकता है। जहां तक राजनीतिक या अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा अपराधियों को बचाने और संरक्षण देने का मुद्दा है, श्री राव ने श्री जयराम पांगी, सांसद, करापुट द्वारा मृतक को अभियुक्त के विरुद्ध किए गए केस को वापस लेने के लिए फोन कॉल के संबंध में जांच के विवरण पर अदालत का ध्यान आकर्षित किया है। न्यायालय का ध्यान सीएफएसएल, हैदराबाद की रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है कि मृतक का जब्त मोबाइल और सिम कार्ड किस स्थान पर भेजे गए थे। रिपोर्ट, जैसा कि आरोप पत्र में उल्लेख किया गया है, नकारात्मक है। जहां तक मुख्यमंत्री की कथित संलिप्तता का सवाल है, श्री राव ने अदालत का ध्यान आरोपपत्र में दर्ज जांच में मिले तथ्यों की ओर आकर्षित किया है, जिससे पता चलता है कि अस्पताल में मृतक के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई और उसका प्रसारण 05.11.2013 को किया गया। प्रसारण उड़िया में होने के कारण उक्त कथन के सटीक संस्करण के

प्रतिलेखन के लिए कटक के रेनशॉ विश्वविद्यालय के एक उड़िया प्रोफेसर और राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर को भी भेजा गया था। उचित जांच और विश्लेषण करने पर, यह पाया गया कि मृतक ने अपने बयान में कहा था कि "एसआई ये" (उड़िया में इसका अर्थ 'वह'), अन्य लोगों के अलावा, घटना के लिए जिम्मेदार था। कहा गया है कि उक्त अभिव्यक्ति को सी.एम. यानी मुख्यमंत्री का संदर्भ समझा गया है। श्री राव ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री को इस घटना से दूर-दूर तक जोड़ने के लिए कोई सामग्री नहीं है, सिवाय इस तथ्य के कि मृतक ने मुख्यमंत्री को दिनांक 05.08.2013 को एक लिखित अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया था। श्री राव ने तर्क दिया है कि मामले में आरोप पत्र दायर किया जा चुका है और मामला अदालत के समक्ष है और इसके अलावा सीआरपीसी की धारा 173 (8) के तहत अन्य दोषी को सजा दिलाने के लिए जांच खुली रखी गई है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा जाए, जो वास्तव में जांच को फिर से खोलने जैसा होगा। इस संबंध में श्री राव ने दिशा बनाम गुजरात राज्य और अन्य (पैरा 21) में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भर किया है।

6. ऊपर बताए गए तथ्यों के सारांश से इतिश्री प्रधान की मृत्यु और उसके आसपास की निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा।

(i)अपनी मृत्यु से पहले मृतिका ने विभिन्न प्राधिकारियों को अभियुक्तों के गैरकानूनी आचरण के विभिन्न मामलों की शिकायत करते हुए और अभियुक्तों के हाथों नुकसान की आशंका व्यक्त करते हुए कई शिकायतें प्रस्तुत की थीं।

(ii)टिकिरी पी.एस. ऐसी शिकायतों के आधार पर आरोपी नेत्रानंद दंडसेना और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामला संख्या 60, 62 और 70 दर्ज किया गया था और उक्त मामलों में आरोप पत्र प्रस्तुत किए

गए हैं।

(iii) हालाँकि आरोपी फरार रहा; मृतक को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई; न ही उसे टिकिरी से बाहर तैनात किया गया था।

(iv) मृतक को 27.10.2013 को जला दिया गया था। उसके मरने से पहले दिए गए बयान, जिनकी संख्या तीन है, में आरोपी नेत्रानंद दंडसेना और एक अज्ञात व्यक्ति को उस अपराध का अपराधी बताया गया है जिससे उसकी मौत हुई।

(v) उक्त घटना के संबंध में टीकरी पुलिस थाना में केस संख्या 92 दर्ज किया गया है. 30.10.2013 को आरोपी नेत्रानंद दंडसेना को गिरफ्तार कर लिया गया है। पर आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है

नेत्रानंद दंडेसेना के खिलाफ 22.2.2014 को आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और धारा 173(8) सीआरपीसी के तहत अन्य अज्ञात आरोपियों के ख़िलाफ़ जांच खोली गई है।

(vi) दो पुलिस अधिकारियों अर्थात् सुजीत कुमार साय, प्रभारी निरीक्षक और मुरलीधर प्रधान, सहायक उप निरीक्षक, टिकीरी पुलिस स्टेशन को गृह विभाग, उड़ीसा सरकार के आदेश दिनांक 05.11.2013 द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

(vii) शिक्षा विभाग के दो अधिकारियों अर्थात् धरणीधर बेहरा, बीईओ रायगढ़ और एलआईसी बीईओ काशीपुर को स्कूल और जन शिक्षा विभाग, उड़ीसा सरकार के दिनांक 05.11.2013 के आदेश द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

(viii) विभागीय पदोन्नति समिति की सिफ़ारिश दिनांकित 1.12.2012 पर दिनांक 15.10.2013 के एक आदेश द्वारा 23 अन्य अधिकारियों के साथ आरोपी नेत्रानंद दंडसेना की पदोन्नति की गई थी।

दिनांक 05.11.2013 के आदेश द्वारा उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

(ix) मामले की जांच में यह दिखाने के लिए कोई सामग्री सामने नहीं आई है कि श्री जयराम पांगी, सांसद, कारापुट निर्वाचन क्षेत्र ने नेत्रानंद दंडसेना के खिलाफ दर्ज मामले को वापस लेने के लिए मृतक को कोई फोन किया था।

(x) मामले की जांच के दौरान कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है और न ही हमारे सामने ऐसी कोई सामग्री रखी गई है, जिससे घटित घटना के संबंध में राजनीतिक या नौकरशाही शक्ति और प्रभाव रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता दिखाई जा सके। .

(xi) मृतक के माता-पिता को अनुग्रह राशि के रूप में 10 लाख रुपये का भुगतान किया गया है जिसे विधिवत स्वीकार कर लिया गया है।

7. हमारे विचारार्थ दो मुद्दे उठते हैं। पहला- क्या आरोपी नेत्रानंद दंडसेना के खिलाफ आईपीसी की धारा 302/120 बी के तहत आरोप पत्र दाखिल करने और धारा 173 (8) सीआरपीसी के तहत जांच जारी रखने के बाद मामले की आगे की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का क्या औचित्य है? उपरोक्त के बावजूद, दूसरा मुद्दा जिस पर विचार करने की आवश्यकता होगी वह यह है कि क्या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके पास मामले से निपटने का अवसर था, के दायित्व के निर्धारण के लिए किसी निर्देश की आवश्यकता है?

8. इस सवाल पर कि क्या एक आपराधिक मामला जिसमें स्थानीय/राज्य जांच एजेंसी द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया है, को आगे की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को भेजा जाना चाहिए, न्यायिक राय में लगभग एकमत है। गुडलुरे एम.जे. चेरियन बनाम भारत संघ और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन बनाम पंजाब राज्य में, यह माना गया है कि आरोप पत्र दायर होने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो

द्वारा आगे की जांच को निर्देशित करने की शक्ति का आमतौर पर संवैधानिक न्यायालयों द्वारा प्रयोग तब तक नहीं करना चाहिए, जब तक कि जांच की निष्पक्षता पर संदेह करने के लिए असाधारण परिस्थितियाँ मौजूद न हों या ऐसा करने के लिए उच्च सार्वजनिक हित पर आधारित बाध्यकारी कारण मौजूद न हों। विनीत नारायण बनाम भारत संघ, भारत संघ बनाम सुशील कुमार मोदी और राजीव रंजन सिंह 'ललन' (8) बनाम भारत संघ उसी तर्ज पर निर्णीत नहीं हैं क्योंकि उक्त मामलों में मुद्दा केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आरोप पत्र दायर किए जाने के बाद जिस निकाय को जांच पहले ही सौंपी गई थी, उसे उस मामले की आगे की जांच का आदेश देने के लिए निगरानी न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना था। रुबाबुद्दीन शेख बनाम गुजरात राज्य, वास्तव में, गुडलुरे एम.जे. चेरियन और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (सुप्रा) में निर्धारित कानून को आगे बढ़ाता है, जो स्थिति रिपोर्ट के पैरा 60 में प्रतिबिंबित होती है जो निम्नलिखित शब्दों में है:

> "... इसलिए, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक उपयुक्त मामले में जब अदालत को लगता है कि मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच उचित दिशा में नहीं है और चूंकि उच्च पुलिस अधिकारी उक्त अपराध में शामिल हैं, तो यह हमेशा अदालत के लिए खुला है कि जांच का जिम्मा सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंप दिया जाये। यह नहीं कहा जा सकता कि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अदालत को उचित मामले में जांच सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने का अधिकार नहीं है."

9. इस स्थिति को दिशा (सुप्रा) में भी संक्षेप में स्पष्ट किया गया है,

जिसमें हममें से एक (विद्वान मुख्य न्यायाधीश) एक पक्ष थे, जिन्होंने निर्धारित किया था कि आरोपपत्र दाखिल होने के बावजूद, जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो या किसी अन्य विशेष एजेंसी को स्थानांतरित किया जाना तभी उचित होगा जब अदालत संतुष्ट हो कि आरोपी के शक्तिशाली और प्रभावशाली होने के कारण जांच उचित दिशा में आगे नहीं बढ़ी है या पक्षपातपूर्ण रही है। किसी सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद किसी आपराधिक मामले की आगे की जांच आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (8) के तहत उक्त न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि उक्त शक्ति, जो, हालांकि, हमेशा एक संवैधानिक न्यायालय में निहित होगी, का प्रयोग केवल उचित परिस्थितियों में, उच्च सार्वजनिक हित की कसौटी पर और कानून के शासन को बनाए रखने की आवश्यकता के आधार पर किया जाना चाहिए।

10. वर्तमान प्रकरण से संबंधित घटनाओं को आसानी से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है - एक इतिश्री प्रधान की मृत्यु से पहले और दूसरा उसके बाद। इस संबंध में हम यह कहना चाहेंगे कि सभी मानवीय त्रासदियाँ, चाहे मानव निर्मित हों या प्राकृतिक, टालने योग्य होती हैं। ऐसी घटना को पूर्व-निर्धारित समझना आत्म-धोखा नहीं तो आत्म-पराजय का दृष्टिकोण है, और इसलिए इससे बचना चाहिए। साथ ही आपदा की किसी घटना को सफलतापूर्वक न टाल पाने में मानवीय दोषी का निर्धारण उचित देखभाल, सावधानी और उचित दूरदर्शिता के अभ्यास की कसौटी पर किया जाना चाहिए। हमारे अनुसार, हस्तगत मामले से जुड़ी घटनाओं को भी इसी तरह से निर्णीत किया जाना है।

11. जहां तक इतिश्री प्रधान की मृत्यु के बाद के तथ्यों और परिस्थितियों का सवाल है, दायर आरोप पत्र और दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई विभागीय कार्रवाई को देखते हुए, हमें इस स्तर पर मामले

में किसी और दिशा-निर्देश की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। इसलिए, हम यह विचार रखने के इच्छुक हैं कि राज्य जांच एजेंसी द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के बाद किसी मामले को आगे की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को भेजने की इस न्यायालय की शक्ति को वर्तमान मामले में लागू नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय, आरोपी नेत्रानंद दंडसेना के खिलाफ अब कानून द्वारा अनिवार्य कार्रवाई को जल्द से जल्द अपने तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचायी जानी चाहिए। साथ ही अज्ञात आरोपियों के खिलाफ जो जांच चालू रखी गई है उसे अविलंब पूरा किया जाए। हम तदनुसार निर्देश देते हैं और इस संबंध में रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक पर जिम्मेदारी डालते हैं। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि आरोपी नेत्रानंद दंडसेना का मुकदमा उस आधार पर या किसी अन्य कारण से नहीं रोका जाएगा और इसे तुरंत आगे बढ़ाया जाएगा और जल्द से जल्द संभव समय के भीतर समाप्त किया जाएगा।

12. हालाँकि, मृत्यु की घटना से पहले की घटनाएँ थोड़ी अलग स्तर पर खड़ी होती हैं। वह प्रथम दृष्टया कुछ हद तक ढिलाई और उदासीनता का खुलासा करता है। इसलिए, यह देखते हुए भी कि राज्य के कुछ अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, हमारा विचार है कि राज्य को इस मामले की विस्तृत प्रशासनिक जांच करनी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या किसी भी स्तर पर कोई अन्य अधिकारी या प्राधिकारी आरोपी नेत्रानंद दंडसेना के खिलाफ कार्रवाई के मामले में या उसे सुरक्षा प्रदान करने या उसे टिकिरी, रायगडा जिले से स्थानांतरित करने के मामले में मृतक द्वारा उठाई गई शिकायतों, परेशानियों और मांगों पर ध्यान न देने के लिए ज़िम्मेदार हैं। ऐसी जांच में निकले निष्कर्षों के आधार पर, हम राज्य को मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश देते हैं। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि हमने इस संबंध में

राज्य के किसी भी अधिकारी या पदाधिकारी के दायित्व या दोषी के संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं की है।

13. हम तदनुसार रिट याचिका का निस्तारण करते हैं और मृतक के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए युवा कानून छात्रा द्वारा प्रदान की गई सेवाओं और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए उसके द्वारा किए गए श्रमसाध्य प्रयासों के लिए अपनी सराहना दर्ज करते हैं।

आर.पी.

रिट याचिक निस्तारित।

प्रेरणा यादव
राजस्थान न्यायिक सेवा

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक प्रेरणा यादव (न्यायिक अधिकारी) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंगेे्रजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।